मजदूर-किसान संघर्ष रैली

lh-vkb-Vh-;-&,-vkb-d-,l-&,-vkb-,-MCY;-;-

5 flrEcj 2018

lIn d le{k

पेंशनभोगीः एन.पी.एस. और ई.पी.एस.

भारत में पेंशन प्रणाली एक सदी से भी अधिक समय से प्रचलित है। आजादी से पहले, ब्रिटिश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन नियम पेश करके उसे वैधानिक बना दिया था। 1982 में सुप्रीमकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसमें घोषित किया गया कि ''भारतीय संविधान के अनुसार सरकार पेंशनभोगियों को सामाजिक एवं आर्थिक संरक्षण देने के लिए बाध्य है और सरकारी सेवा से सेवानिवृतों के लिए पेंशन उनका मौलिक अधिकार है। पेंशन न तो उपहार है और ना ही नियोक्ता की सद्भावना या मेहरबानी है। यह एक अनुग्रह भुगतान भी नहीं है बल्कि उनकी पूर्व में की गयी सेवाओं का भुगतान है। यह एक सामाजिक कल्याणकारी मानदण्ड है, जिसके तहत उन लोगों को सामाजिक–आर्थिक न्याय देना है, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी नियोक्ताओं के लिए निरंतर कड़ी मेहनत करने में इस भरोसे में बितायी है कि उनके बुढ़ापे में उन्हे बेसहारा नहीं छोड़ दिया जाएगा''।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और समाजिक और आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की संवैधानिक बाध्यता के बारे सुप्रीमकोर्ट द्वारा बार–बार दोहराने के बावजूद भी देश के मजदूरों के विशाल बहुमत को पेंशन से वंचित रखा गया और वे अपने बुढ़ापे में पूरी तरह से लड़खड़ा रहे हैं।

1980 के दशक में भूमंडलीयकरण नीतियों के आगमन के साथ ही साथ 'पेंशन सुधारों' की भी शुरुआत हुई। पेंशन सुधारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए आई.एम.एफ. और विश्व बैंक ने कई रिपोर्ट और लेख प्रकाशित करना शुरु किया। भारत में पेंशन के क्षेत्र में होने वाले सुधारों के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करना शुरु कर दिया। 2001 में ''भारत में पेंशन सुधारों पर आई.एम.एफ. का कार्य–पत्र'' और विश्व बैंक भारत की विशिष्ट रिपोर्ट ''भारत – वृद्धावस्था में आय सुरक्षा की चुनौती'' प्रकाशित की गई। इन रिपोर्टों में यह तर्क दिया गया कि सरकारों द्वारा किये गये पेंशनदायित्यों या किए गए वायदों से सरकारी वित्त पर दबाव डालेगा अतः यह अस्थिर हो जायेगा।

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब पूर्व एनडीए सरकार सत्ता में आयी, वह भी नवउदारवादी नीतियों के प्रति कटिबद्ध थी, स्वेच्छा से आई.एम.एफ. और विश्व बैंक के निर्देशों के अनुसार पेंशन 'सुधारों' को प्रस्तुत किया। 2001 में उसने तथाकथित 'पेशन सुधारों' का अध्ययन और अनुशंसा करने के लिए कर्नाटक के पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 'भट्टाचार्य समिति' नियुक्त की। उसने पुरानी पारम्परिक सुनिश्चित पेंशन हितलाभों से कर्मचारियों को वंचित करने की भूमिका तैयार की। भट्टाचार्य समिति की सिफारिशों को लागू करते हुए एनडीए सरकार ने नयी पेंशन योजना को पेश किया, जिसे सुनिश्चित अंशदायी योजना बताया और कहा कि 1.1.2004 के बाद जो भी कर्मचारी नौकरी पर लगा है, उस पर यह लागू होगी।

2004 में सत्ता में आयी कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने भी उन सुधारों को जारी रखते हुए एन.पी.एस. को वैधानिक बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। लेकिन वामदलों, जिनके समर्थन पर इसका अस्तित्व टिका था, के कड़े विरोध के कारण यूपीए–1 सरकार इस पेंशन बिल को संसद में पारित नहीं करा पायी। बाद में जब यूपीए–2 सत्ता में आयी तब 'पेंशन फंड रेग्यूलेटरी एवम डेवल्पमेंट आथरिटी' (पी.एफ.आर.डी.ए.) का बिल संसद में पारित हो गया। विपक्षी दल होने के बावजूद भाजपा ने इसका समर्थन किया। यह इस तथ्य को स्पष्ट रूप से सामने लाता है कि नवउदारवादी नीतियों के तहत, जनता के सामाजिक सुरक्षा और

कल्याणकारी उपायों में कटौती करने और देशी–विदेशी कॉरपोरेटस् को धन हस्तांतरण करने के मामले में भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है।

2004 से कई राज्य सरकारें जो वामपंथियों के अलावा अन्य राजनीतिक दलों द्वारा शासित थीं, अपने कर्मचारियों के लिए योगदान पेंशन प्रणाली विभिन्न तारीखों से शुरु कर चुकी हैं। केरल की वामपंथी एवं लोकतांत्रिक मोर्चा की सरकार और पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा की वामपंथी सरकारों ने नयी पेंशन योजना को लागू करने से इन्कार कर दिया। और सुनिश्चित हितलाभ वाली पुरानी पेंशन पद्धति को जारी रखा। 2011 में केरल में यूपीए की सरकार सत्ता में आयी और एनपीएस की शुरुआत की, लेकिन 2016 में सत्ता में आने के बाद एलडीएफ सरकार ने एनपीएस के कार्यान्वयन पर पुनः विचार का फैसला लिया। त्रिपुरा में भाजपा सरकार के आते ही अपने पहले ही बजट में एनपीएस की शुरुआत करने की घोषणा कर दी, लेकिन पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन पद्धति अभी तक चालू है। एनपीएस न केवल केन्द्रीय और राज्य सरकार के नए कर्मचारियों पर लागू है बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा स्वायत्त निकायों में लगभग सभी नये कर्मचारियों पर भी लागू हो रहा है।

एनपीएस क्या है?

इस नयी योगदान आधारित पेंशन योजना के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में से हर महीने मूल वेतन+ मँहगाई भत्ता (डीए) का 10% काटकर कर्मचारी के पेंशन खाते में जमा किया जाता है। उसके समान राशि नियोक्ता की ओर से भी जमा की जाती है। कुल राशि पी.एफ.आर.डी.ए. अधिनियम के तहत पेंशन फंड में जमा की जाती है। इसमें योगदान राशि तो परिभाषित की गई है लेकिन सेवानिवृत के बाद कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन राशि को परिभाषित नहीं किया गया है। पेंशन फंड में जमा धन शेयर बाजार में निवेश किया जा रहा है। पी.एफ.आर.डी.ए. अधिनियम के अनुसार ग्राहकों द्वारा खरीदे जाने वाले शेयर के अन्तर्निहित कोई परोक्ष या सुस्पष्ट आश्वासन नहीं होगा। इस प्रकार पेंशन फंड में जमा राशि बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। यह शेयर बाजार के उतार–चढ़ाव पर आधारित है। 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत होने के बाद पेंशन खाते में संचित राशि का 60% वापस मिल जाता है और बाकी 40% बीमा वार्षिक योजना में जमा की जाती है। बीमा वार्षिक योजना से प्राप्त मासिक राशि ही मासिक पेंशन है।

इस प्रकार देखा जा सकता है कि पेंशन फंड में जमा राशि में बढ़ोत्तरी शेयर बाजार की अनियमिताओं पर निर्भर करती है। यदि शेयर बाजार में गिरावट आई है, जैसा कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान हुआ था, तो पेंशन फंड में पूरी राशि गायब हो सकती है। उस स्थिति में कर्मचारियों को कोई पेंशन नहीं मिल सकेगी। शेयर बाजार के उतार–चढ़ाव को न तो कर्मचारी नियंत्रित कर सकता है और ना ही कोई भविष्यवाणी की जा सकती है, जो एनपीएस के तहत कवर किए गए कर्मचारियों की पेंशन के भविष्य को प्रभावित करेगी। पेंशन की अनिश्चितता और रिटायर्ड जिंदगी कर्मचारी के सर पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। अगर शेयर बाजार स्थिर भी हो तब भी 40% बीमा वार्षिक योजना की राशि कर्मचारी के अन्तिम वेतन के 50% के समान नहीं हो सकती, जैसा कि पुराने पेंशन स्कीम में था।

पी.एफ.आर.डी.ए. अधिनियम की धारा 12(5) के अनुसार जो कर्मचारी और पेंशन भोगी एनपीएस की परिधि में नहीं आते हैं उन्हें भी सरकार राजपत्र में अधिसूचित करके अधिनियम के दायरे में ला सकती है। इस तरह एनपीएस कर्मचारियों और पेंशनरों के सिर पर लटकने वाली खतरे की तलवार है।

यह न केवल सरकारी कर्मचारी अपने पेशन लाभों में कटौती का सामना कर रहे हैं। बल्कि ईपीएफ के अर्न्तगत कर्मचारी पेंशन योजना, जिसके लिए मजदूरों का पैसा ले लिया गया, का भी नवउदारवादी नीतियों ने मजाक बना रखा है। बहुत से मजदूरों को पेंशन के तौर पर 100 रुपऐ ही मिल रहे थे। ट्रेड यूनियनों और पेंशनरों के अत्याधिक दबाव के कारण यूपीए सरकार ने न्यूनतम पेंशन को 1000 रु प्रति महीना बढ़ाने का निर्णय लिया था। लेकिन, आज भी बड़ी संख्या में ईपीएस पेंशनरों को यह राशि नहीं मिलती है।

कम्यूटेशन के आधार पर पेंशन में हुई कटौती 100 महीने के लिए ही होनी चाहिए थी लेकिन 180 महीने के बाद भी यह कटौती जारी है। आरओसी योजना वापस लेने के बाद भी पूंजी की वापसी के लिए दस प्रतिशत कटौती को वापस नहीं किया गया है। सरकार ने पेंशन योग्य वेतन की गणना के लिए अवधि को बढ़ाकर पिछले 60 महीनों का औसत कर दिया है।

लाभान्वित कौन है?

इन पेंशन सुधारों से किसको लाभ होगा? जैसे कि हर नवउदारवादी सुधारों से अंततः लाभान्वित होने वाले देश–विदेशी कॉरपोरेटस् धनवान ही होते हैं। मजदूरों की तनख्वाह से बढ़ी मात्रा में धनराशि को पेंशनफंड में एकत्रित करके, पेंशनफंड मेंनेजरो द्वारा शेयर बाजार में लगाया जाता है। इस धन राशि का इस्तेमाल बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा अपने मुनाफों को कई गुना करने के लिए होता है। नये भर्ती हुए कर्मचारियों से कटौती की गयी धनराशि और नियोक्ता की हिस्सेदारी को पेंशनफंड में जमा किया जाता है जो 30–35 वर्षों तक अर्थात् 60 वर्ष की आयु तक पेंशन फंड और शेयर बाजार में रहती है। इस 35 वर्ष की लम्बी अवधि के लिए करोड़ों और करोड़ों रुपया, शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाले बड़े बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशनों की मनमानी पर रहता है। अंततः शिकार तो गरीब मजबूर कर्मचारी/पेंशनभोगी होता है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और मजदूरों के कन्फेडरेशन और ऑल इण्डिया स्टेट गवर्नमैन्ट एम्पलाईज फेडरेशन (एआईएसजीईएफ) एकदम शुरुआत से ही एनपीएस का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने 30 अक्टूबर 2007 को एक दिवसीय हड़ताल की थी। इस अवधि के दौरान अन्य सभी हड़तालों में यह मुख्य माँगों में से एक रही थी। तब से एनपीएस के खिलाफ अभियान और संघर्ष जारी रहा है। अब केंद्रीय और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र एवं स्वायत्त निकायों के कुल कर्मचारियों का लगभग 50% एनपीएस में कवर हो गया है। वे एनपीएस के खिलाफ अधीर और उत्तेजित हो रहे हैं। इस प्रकार, एनपीएस के खिलाफ संघर्ष की तीव्रता के लिए चैतन्यपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण परिस्थितियाँ उभर रही हैं। यहाँ तक कि 7$^{वें}$ केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को यह इंगित करना पड़ा कि ''01–01–2004 को या उसके बाद नियुक्त लगभग सरकारी कर्मचारीगण नई पेंशन योजना से नाखुश था। सरकार को उनकी शिकायत पर ध्यान देना चाहिए''।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और मजदूरों के कन्फेडरेशन और ऑल इण्डिया स्टेट गवर्नमैन्ट एम्पलाईज फेडरेशन (एआईएसजीईएफ) ने पूरे देश में घनीभूत प्रचार अभियान चलाने का निर्णय लिया है जिसका समापन 15 नवम्बर, 2018 को एक दिवसीय हड़ताल में होगा। इसमें प्रमुख माँग होगी कि नए कर्मचारियों पर थोपी गयी सुनिश्चित योगदान आधारित एनपीएस को हटा कर, एक सदी से भी अधिक समय प्रचालित सुनिश्चित पेंशन लाभ आधारित (पूर्व पेंशन प्रणाली) को पुनः लागू किया जाए।

संसद पर 5 सितम्बर, 2018 की ''मजदूर किसान संघर्ष रैली'' भी सुनिश्चित पेंशन लाभ देने वाली पूर्व पेंशन को पुनः लागू करने पर जोर देने और एनपीएस को हटाने की माँग करने के लिए है। और देशी–विदेशी कॉरपोरेटस् फायदों के लिए कर्मचारियों के धन को सट्टेबाज शेयर बाजार में लगाने के खिलाफ सरकार को चेतावनी देने के वास्ते है। बड़ी मेहनत से हासिल कर्मचारियों और मजदूरों के विशेष सामाजिक सुरक्षा लाभों पर आघात व अन्याय को और नहीं सहा जा सकता। उस नवउदारवादी व्यवस्था को पलटने की माँग करने के लिए है जो जनता के धन और सार्वजनिक सम्पत्तियों केवल कुछ लोगों के हाथों में स्थानान्तरित करती है।

एकजुट हों! संघर्ष करें!

- ऐसी सरकारें नहीं जो 0.1% के हित में काम करे!
- उन नीतियों के लिए जो 99.9% के हित में हों!